

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्ष०),
बरेली-मुरादाबाद-आगरा मण्डल,
26, सिविल लाइन, बरेली ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
प्रोफेशनल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
औद्योगिक क्षेत्र,
एटा।

पत्रांक:

निजी/फर-10/प्र०सू०/सं०नि०/10/1851

दिनांक:-16.8.10

विषय:

प्रशिक्षण सत्र फरवरी-2010 से संबंधित प्रवेश सूचियां उपलब्ध करने के संबंध में

महोदय,

निदेशालय के पत्र सं०-3111/टी-3/रा०प०/भा०स०सं०/दिनांक:-03.12.09, जो

आपको सम्बोधित एवं प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के अनुसार आपके केन्द्र के निम्नांकित व्यवसायों को उनके नाम के सम्मुख एककों की प्रशिक्षण सत्र फरवरी-2010 से, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ।

क०सं०	व्यवसाय	एकक
1	फिटर	01+01
2	विद्युतकार	01
3	कोपा	01

उक्त के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यवसाय की नियमानुसार एककों की प्रवेश सूचियां निम्न प्रारूप पर तत्काल इस कार्यालय को व्यक्तिगत सम्पर्क कर, उपलब्ध करायें ।

प्रवेश के लिये न्यूनतम निर्धारित अर्हतायें राजकीय संस्थानों के अनुरूप ही होगी
प्रारूप

प्रबन्धक का नाम एवं दूरभाष सं०-

प्रधानाचार्य का नाम एवं दूरभाष सं०-

केन्द्र का नाम एवं पता:

सत्र:-

व्यवसाय-

प्रवेश क्षमता-

प्रशिक्षण क्षमता-

क०सं०	प्रशिक्षार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्त तिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवेश तिथि	जाति	पता
-------	----------------------	-------------	-----------	-----------------	-------------	------	-----

नोट- 1-विलम्ब से प्रवेश सूचियां उपलब्ध कराने की दशा में यदि सत्र शून्य घोषित किया जाता है तो उसका पूर्ण उदत्तरदायित्व आपका होगा ।

2-यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें । इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में समलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उदत्तरदायित्व आपको होगा ।

भवदीय

प्रतिलिपि:

अपर निदेशक महोदय(प्रशि०/शिक्ष०), प्रशिक्षण एवं सेवयोजन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ, को उक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

क०संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्ष०)

क०संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्ष०)